

(1)

कार्यालय:—मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीधी, जिला सीधी, (म.प्र.)
// विविध आदेश //

क्रमांक. ५३४/2024

सीधी, दिनांक—05.07.2024

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा—12 एवं 13 तथा म.प्र. आपराधिक नियम एवं आदेश के नियम 31 के उपबंधों के अधीन **माह—जुलाई, अगस्त, सितम्बर—2024** के सार्वजनिक अवकाश के दिनों में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी को उनके नाम के सम्मुख दर्शायी गई तिथियों के लिए रिमाण्ड ड्यूटी सपादित किये जाने हेतु निर्देशित किया जाता है :-

जिला—मुख्यालय सीधी

अवकाश की तिथियां

क.	नाम अधिकारी एवं पद	माह—जुलाई 2024	माह—अगस्त 2024	माह—सितम्बर 2024
1	श्री सोनू जैन, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सीधी	07	11	07
2	श्रीमती शोभना मीणा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सीधी	17	04	15
3	श्रीमती रेनू श्रीवास्तव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सीधी	21	25	16
4	श्रीमती सोनम शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सीधी	14	15	01, 22
5	श्री अभिषेक साहू, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सीधी	28	18,19	21
6	श्री अनिरुद्ध कुमार उचाडिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सीधी		17, 27	08, 29

तहसील—मुख्यालय चुरहट

अवकाश की तिथियां

क.	नाम अधिकारी एवं पद	माह—जुलाई 2024	माह—अगस्त 2024	माह—सितम्बर 2024
1	श्री नृपेन्द्र सिंह परिहार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चुरहट	14, 17	17, 18, 19	07, 08
2	सुश्री वैशाली बड़ेरिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चुरहट	21	04,11,15	15, 16, 29
3	सुश्री विजया विश्वकर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चुरहट	07, 28	25, 27	01, 21, 22

(2)

तहसील-मुख्यालय रामपुर नैकिन

क.	नाम अधिकारी एवं पद	अवकाश की तिथियां		
		माह-जुलाई 2024	माह-अगस्त 2024	माह-सितम्बर 2024
1	श्री परमानन्द सनोड़िया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रामपुर नैकिन	07, 14, 17, 21, 28	04, 11, 15, 17, 18, 19, 22, 25, 27	1, 07, 08, 15, 16, 21, 22, 29

तहसील-मुख्यालय मझौली

क.	नाम अधिकारी एवं पद	अवकाश की तिथियां		
		माह-जुलाई 2024	माह-अगस्त 2024	माह-सितम्बर 2024
1	श्री दीपक कुमार अग्रवाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मझौली	14, 28	4, 15, 18, 25	7, 15, 21, 29
2	सुश्री रूचि परते, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मझौली	7, 17, 21	11, 17, 19, 27	1, 8, 16, 22

1. न्यायिक मजिस्ट्रेट, सीधी, /चुरहट/रामपुर नैकिन/मझौली उपरोक्त दर्शित तिथियों में दोपहर के समय 3:00 बजे से 5:00 बजे तक रिमाण्ड एवं अत्यावश्यक कार्य अपने न्यायालय में संपादित करेंगे।
2. उपरोक्त रिमाण्ड ड्यूटी अनुसार संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट किसी अपरिहार्य कारण से मुख्यालय से बाहर रहने की अनुमति चाहते हैं तो ऐसे मजिस्ट्रेट उनके स्थान पर रिमाण्ड ड्यूटी करने के लिए सहमत होने वाले मजिस्ट्रेट की सहमति मय हस्ताक्षर लिखित आवेदन के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीधी को सूचित कर अपनी पूर्व निर्धारित रिमाण्ड ड्यूटी को परिवर्तित करा सकते हैं।
3. यदि इस बीच कोई अतिरिक्त शासकीय अवकाश घोषित होता है तो निम्न सारणी अनुसार न्यायिक मजिस्ट्रेट उक्त दिवस की रिमाण्ड ड्यूटी सम्पादित करेंगे :-

मुख्यालय सीधी:-

- माह जुलाई 2024 :- श्रीमती सोनम शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सीधी।
माह अगस्त 2024 :- श्री अभिषेक साहू, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सीधी।
माह सितम्बर 2024 :- श्री अनिरुद्ध कुमार उचारिया, न्यायिक मजि.प्रथम श्रे.सीधी।

तहसील मुख्यालय चुरहट:-

- माह जुलाई 2024 :- श्री नृपेन्द्र सिंह परिहार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चुरहट।
माह अगस्त 2024 :- सुश्री वैशाली बडेरया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चुरहट
माह सितम्बर 2024 :- सुश्री विजया विश्वकर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चुरहट।

तहसील मुख्यालय रामपुर नैकिन:-


- माह जुलाई 2024 :- श्री परमानंद सनोड़िया, न्या.मजि.प्रथम श्रेणी रामपुर नैकिन।
माह अगस्त 2024 :- श्री परमानंद सनोड़िया, न्या.मजि.प्रथम श्रेणी रामपुर नैकिन।
माह सितम्बर 2024 :- श्री परमानंद सनोड़िया, न्या.मजि.प्रथम श्रेणी रामपुर नैकिन।

तहसील मुख्यालय मझौली:-

- माह जुलाई 2024 :- श्री दीपक कुमार अग्रवाल, न्या.मजि.प्रथम श्रेणी मझौली।
माह अगस्त 2024 :- सुश्री रूचि परते न्या.मजि.प्रथम श्रेणी मझौली।
माह सितम्बर 2024 :- श्री दीपक कुमार अग्रवाल, न्या.मजि.प्रथम श्रेणी मझौली।

4. उक्त रिमाण्ड ड्यूटी अनुसार संबंधित न्यायालय में पदस्थ कर्मचारीगण अपने-अपने कर्तव्य पर उपस्थित रहेंगे।
5. यदि कोई सार्वजनिक अवकाश निरस्त होकर उसके आगामी कार्य दिवस या पूर्व के कार्य दिवस में परिवर्तित होता है तो संबंधित अवकाश को नियत की गई रिमाण्ड करने वाले मजिस्ट्रेट के द्वारा ही रिमाण्ड ड्यूटी उस अनुसार की जावेगी।
6. यदि मुख्यालय पर किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट का अपरिहार्य कारण से एवं संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट की सहमति के बगैर अवकाश या अन्य कारण से मुख्यालय में उपस्थित नहीं है तो उनके स्थान पर कार्य विभाजक पत्र अनुसार प्रभारी मजिस्ट्रेट द्वारा रिमाण्ड ड्यूटी सम्पादित की जायेगी।
7. रिमाण्ड ड्यूटी में परिवर्तन अपरिहार्य परिस्थितियों में ही अनुज्ञात किया जा सकता है।

नोट:- माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर के आदेशानुसार जिला स्थापना सीधी में पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट का स्थानांतरण होने की दशा में जिला मुख्यालय/तहसील न्यायालय में पदस्थ कनिष्ठ न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा रिमाण्ड ड्यूटी संपादित की जावेगी।


(लक्ष्मण डोहरे)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीधी
जिला सीधी, (म.प्र.)